मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 6, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार :-

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का पच्चीसवां एवं छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008),

(ख) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का पच्चीसवां एवं छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 का व्याख्यात्मक ज्ञापन, तथा

(ग) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के पच्चीसवां एवं छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपांतर पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्र.2-16-2009-सात-6, दिनांक 21 सितम्बर, 2010, पटल पर रखेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री खनिज साधन :-

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2008-2009, एवं

(ख) एम.पी. पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2008-2009, तथा

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2007-2008,

पटल पर रखेंगे.

4. नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, चम्बल संभाग में नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में हरियाली-महोत्सव के तहत पौध रोपण में अनियमितता किये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -
- (क) सिन्ध परियोजना की आर.बी.सी. नहर का निर्माण ग्राम जैतपुर तक किये जाने,
- (ख) ग्राम दिदावली हेठा दीवर में आंगन बाडी भवन निर्माण किये जाने,
- (ग) मगरोनी में कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (घ) ग्राम लमकना से बिल्हारी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ङ) ग्राम केखौदा से दतुला तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
- (च) ग्राम गाणौनी दतुला में नहर निर्माण कराये जाने,

(2) श्री विजय पाल सिंह, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -
- (क) बाबई में स्थित माखन लाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम शोभापुर में स्थित उप मंडी में खरीदी का कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(3) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के -
- (क) रामपुर बघेलान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने,
- (ख) ग्राम बदरखां, हिनौता को मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोडे जाने,
- (ग) टमस नदी पर निमहा घाट में रपटा निर्माण कराये जाने,
- (घ) रामपुर बघेलान के हनुमानगंज मोहल्ले के चौराहे पर डॉक्टर अम्बेड़कर की प्रतिमा स्थापित किये जाने,
- (ङ) ग्राम घोरकाट में हाई स्कूल खोले जाने,
- (च) ग्राम पिथयपुर में खैरहा नाला पर पुल निर्माण कराये जाने, तथा
- (छ) रामपुर बघेलान में बालिका छात्रावास खोले जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम पंचायत मालपिया के आदिवासी भूमिहीनों को पट्टे दिये जाने,
- (ख) मोहनगढ़ को तहसील स्तर की समस्त सुविधा दिये जाने,
- (ग) ओरछा तिगैला से ओरछा मार्ग की पुलियों को चौड़ा किये जाने, तथा
- (घ) मोहनगढ़ में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

10. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 19 मार्च, 2009 को पूछे गये तारांकित 14 (क्रमांक 892) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल , राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

12. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

निर्धारित समय

13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

35 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ट्रेन क्रमांक 19658 जो वर्तमान में उदयपुर से इंदौर एवं इंदौर से उदयपुर के मध्य सप्ताह के तीन दिन क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार को चल रही है उसे प्रतिदिन चलाया जावे. "

(2) श्री के पी.सिंह "कक्काजू", सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

35 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ग्वालियर से भोपाल के बीच इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाय."

(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश रियल इस्टेट नियामक संस्था का गठन किया जावे, जिससे मकान खरीदने वाले ग्राहक पंजीकृत बिल्डरों के तकनीकी शब्दों के कारण होने वाले शोषण से बच सकें."

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थल, ओरछा पर स्थित रेल्वे स्टेशन से गुजरने वाली समस्त ट्रेनों को यात्रियों के लिये रोकने की व्यवस्था की जावे. "

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 फरवरी, 2011